



Email: [cswriavikanagar@yahoo.com](mailto:cswriavikanagar@yahoo.com) दूरभाष : 01437-220177 फ़ैक्स नं. 91-01437-220163

**भा.कृ.अ.प.-केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान**

अविकानगर, तह0 मालपुरा, जिला-टोंक (राजस्थान) – 304501

**ICAR-Central Sheep & Wool Research Institute**

Avikanagar, Teh.Malpura, Dist.Tonk (Rajasthan) – 304501



F.No.6(419)SP/2021/

Dated:21-05.2021

### NOTICE INVITING TENDER THROUGH E-PROCUREMENT

On behalf of Secretary, ICAR the Director, CSWRI, Avikanagar invites online bids in singal bid system for निजी भागीदारी से ब्लॉक संख्या n 5 व 13 में सैजना (मोरिंगां) वृक्ष चारागाह लगाना एवं देखभाल at ICAR-CENTRAL SHEEP & WOOL RESEARCH INSTITUTE, AVIKANAGAR, MALPURA, DISTT. TONK, RAJASTHAN, PIN 304501. Manual bids shall not be entertained.

Tender documents may be downloaded from e-Procurement website of CPP <https://eprocure.gov.in/> and [www.cswri.res.in](http://www.cswri.res.in) as per the schedule as give in CRITICAL DATE SHEET as under:

#### CRITICAL DATE SHEET

Tender No.	F.No. 6(419)SP/2021
Date and Time for issue/Publishing	21-05-2021 at 5.00 PM
Document Download/Sale start date and time	22-05-2021 at 3.00 PM
Pre Bid Meeting	-
Bid Submission Start Date and Time	22-05-2021 at 3.00 PM
Bid Submission End Date and Time	14-06-2021 at 3.00 PM
Date and Time for Opening of Bids	15-06-2021 at 3.00 PM
Tender fee and Earnest money Security money	Tender fee – Rs.1000/- EMD- Bid Securing Declaration Form Performance Security money –Rs.20,000/-
Bank detail	ICAR UNIT -CSWRI, Avikanagar payable atSBI, Malpura Tonk Rajasthan Account No.51066000084 IFSC Code –SBIN0031088 Branch – Malpura Tonk Rajasthan
Address for Communication	Asstt.Administrative Officer (Store & Purchase), C.S.W.R.I., Avikanagar,Malpura, Distt. Tonk, Rajasthan, Pin- 304501

### Chapter I- Instruction to bidders

1. Bids shall be submitted online only at CPPP website: <https://eprocure.gov.in/eprocure/app>.
2. Tenders/bidders are requested to visit website <https://eprocure.gov.in> regularly. Any changes/modifications in tender enquiry will be intimated by corrigendum through this website only.
3. In case, any holiday is declared by the Government on the day of opening, the tenders will be opened on the next working day at the same time. The Institute reserves the right to accept or reject any or all the tenders.
4. The complete bidding process in online. Bidders should be possession of valid digital Signature Certificate (DSC) of class II or III for online submission of bids. Prior to bidding DSC need to be registered on the website mentioned above. For any assistance for e-bidding process, if required bidder may contact to the helpdesk at 01437-220177.

5. **Tenderer/Contractor/Bidders are advised to follow the instructions provided in the ‘Instructions to the Contractors/Tenderer/Bidders for the e-submission of the bids online through the Central Public Procurement Portal for e-procurement at <https://eprocure.gov.in/eprocure/app>.**
6. Bid documents may be scanned with 100 dpi with black and white option which helps in reducing size of the scanned document.
7. **Tender Cost:** Applicant contractor must submit the demand draft for **Rs 1000/- (Rupees one thousand only)** in favour of **“ICAR Unit, CSWRI, Avikanagar, payable at SBI, Malpura”**, obtained from any Nationalized/ scheduled Bank valid for three months as tender fees. All applicable bank charges shall be borne by the applicant and he shall not have any claim whatsoever on this account on Government. The Demand Draft submitted for tender fee shall be non-refundable. **The demand drafts for tender fees must deliver to ICAR-CSWRI, Avikanagar on or before last date/time of Bid Submission.**
8. **EMD Payment:** The bidder shall be required to submit the Bid Securing Declaration (Annexure III) instead of Earnest Money Deposit (EMD) for an amount of 2% of Contract Value as per GOI OMNo.F.9/4/2020-PPD dated 12.11.2020. If bidders withdraw or modify their bids during the period of validity, or if they are awarded the contract and they fail to sign the contract, or to submit a performance security before the deadline defined in the request for bids/request for proposals document, they will be suspended for the period of time specified in the request for bids/request for proposals document from being eligible to submit Bids/Proposals for contracts with the Procuring Entity.
9. **The Hard Copy of original document in respect of cost of tender document in respect of cost of tender document etc. must be delivered to the ICAR-CSWRI, Avikanagar on or before last date/time of Bid Submission as mentioned above. The bid without tender fee will be summarily rejected.**
10. **Submission of Tender:** The tender shall be submitted online in single bid. All the pages of bid being submitted must be signed and sequentially numbered by the bidder irrespective of nature of content of the documents before uploading.  
**The offers submitted by Telegram/Fax/Email shall not be considered. No correspondence will be entertained in this matter.**
11. **Technical Bid :** The following scanned documents are to be furnished by the bidders along with Technical Bid as per the tender document:
  1. Scanned copy of relevant Firm Registration certificate.
  2. Scanned copy of Last three years continuous experience or more of the firm in the field of providing such satisfactory services in Central Govt. establishments/Autonomous bodies of Govt. of India/ Corporations of Govt. of India/reputed public or private organizations.
  3. Scanned copy of Pan card
  4. Scanned copy of GST Certificate. In case, if contractor is not eligible for GST, a certificate is required showing his turnover less than Rs.20 lakhs of his claim is to be sustained by documentary evidence like ITR (Income Tax Return), balance sheet, profit & Loss Statement etc.
  5. Scanned copy of D.D. of Tender Fee and Bid Securing Declaration(Annexure III)
  6. Tender acceptance letter (Annexure I)
  7. Scanned copy non blacklisting certificate(Annexure II)

All necessary documents in support of the details for S.No. 1 to 7 must accompany the technical bid. The bid is liable to be rejected in case documents are not uploaded in the technical bid on CPP Portal, documents are incomplete or in case any certification/registration has already expired but is yet to be renewed. Only essential and necessary valid documents are to be uploaded in the technical bid. Please avoid uploading extraneous and irrelevant documents which unnecessary cause confusion.

Assistant Administrative Officer (S&P)

## Chapter II- Scope of Work

### निजी भागीदारी अनुबंध

क्र०सं०	कार्य का विवरण	कार्य स्थल	क्षेत्रफल	अनुबंधकर्ता का हिस्सा	संस्थान का हिस्सा
1	संस्थान के लिये २ हैक्टेयर भूमि पर बहुस्तरीय कृषि कार्य करना जिसमें प्रथम वर्ष में निर्देशानुसार पौधे लगवाना, पानी पिलवाना और उनकी देखभाल एवं रखवाली करना। दुसरे वर्ष में सैंक्रस घास का चरागाह लगवाना होगा।	ब्लाक न० 5 व 13	2 हैक्टेयर	0%	100%
2	8 हैक्टेयर भूमि पर सैंजना के पौधे लगवाना उसमें सैंक्रस घास का चरागाह स्थापित करवाना तथा उसकी देखभाल करना।	ब्लाक न० 5 व 13	8 हैक्टेयर	सैंजना की फलियाँ 100%	सैंक्रस घास व फसल अवशेष 100%

#### कार्य करने के नियम व शर्तें

- कार्य क्षेत्र के वृक्षारोपण व चरागाह स्थापन वर्ष में खेत तैयार करने हेतु क्षेत्र की साफ सफाई (Bush cleaning), जुताई, कल्टीवेटर लगाना एवं समतल कर चरागाह लगाने में श्रमशक्ति (मजदूरी) कुल खर्च अनुबन्धकर्ता की शत-प्रतिशत रहेगी जिसमें संस्थान अनुबन्धकर्ता को ट्रेक्टर व जे सी बी उपलब्ध करवायेगा जिसका ईंधन अनुबन्धकर्ता को वहन करना होगा। चरागाह हेतु धामण घास का बीज संस्थान द्वारा बिना किसी मूल्य के अनुबन्धकर्ता को उपलब्ध कराया जायेगा। पूरे क्षेत्र में चारा वृक्ष व अन्य चारा झाड़ियों, सैंजना इत्यादि के रोपण में मटेरीयल समेत सारा खर्च अनुबन्धकर्ता का होगा। स्थापन वर्ष में व इसके बाद के वर्षों में पूरे क्षेत्र में (2+ 8 हैक्टेयर) चारे/फसल की कटाई अनुबन्धकर्ता द्वारा कराई जायेगी एवं चारा/फसल अवशेष अनुबन्ध क्षेत्र से विभिन्न सेक्टरों तक परिवहन (Transport) का कार्य हेतु संस्थान ट्रेक्टर उपलब्ध करायेगा व श्रमशक्ति अनुबन्धकर्ता की रहेगी। कार्य क्षेत्र में लगाये गये पौधों की सिंचाई व जिवितता अनुबन्धकर्ता को स्वयं के खर्च पर ही सुनिश्चित करना होगा। कार्य क्षेत्र में फसलों एवं वृक्षों को जंगली व आवारा पशुओं से बचाव हेतु बाड़ की व्यवस्था मरम्मत की जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की होगी।
- अनुबन्धकर्ता के अधिकार क्षेत्र में रोपित सैंजना के वृक्षों पर अनुबन्ध के दौरान व अनुबन्ध के पश्चात पुरा अधिकार अनुबन्धकर्ता का होगा। अनुबन्धकर्ता के अधिकार क्षेत्र में यदि अनुबन्धकर्ता सैंजना रोपित भूमि के अलावा कोई अन्य दलहनी फसल की बुवाई करता है तो उस फसल के दाना उत्पादन पर अनुबन्धकर्ता का 100% हिस्सा व फसल अवशेष पर संस्थान का 100% हक होगा। कोटेशन प्रपत्र में दर्शाये गये ब्लाक न० 5/13 में लगाये गये चरागाह में सैंक्रस चारे की उपज का 100% हिस्सा संस्थान का होगा।
- सफल अनुबन्धकर्ता का चयन उसका संबंधित कार्यक्षेत्र में अनुभव को आधार मानकर किया जाएगा।
- कार्य क्षेत्र में काम आने वाले अनुबन्धकर्ता द्वारा लाये गयी चल संपत्ति (Movable assets) जिन्हे कार्य क्षेत्र में स्थापित किया गया हो अथवा विभिन्न कार्यों हेतु लाया गया हो, अनुबन्ध के दौरान / पश्चात ले जाने का अधिकार अनुबन्धकर्ता का होगा परंतु संस्थान से बाहर ले जाने हेतु वांछित संस्थान प्रक्रिया (गेट-पास) सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर अपनाना होगा।
- अनुबन्धकर्ता अच्छे उत्पादन हेतु जैविक खेती पर जोर दें एवं जैव रसायनों का ही प्रयोग करें। हानिकारक कृत्रिम रसायनों का प्रयोग न करें जो कि फसल अवशेष व चारे को प्रदुषित करे।
- अनुबन्धकर्ता परागण व फसल उत्पादन बढ़ाने हेतु यदि मधुमक्खी पालन अपनाता है तो इसके उत्पाद पर अनुबन्धकर्ता का पूर्ण हक होगा परंतु इसके लिये सक्षम अधिकारी से आवश्यक चर्चा कर अनुमति लेनी होगी।
- अनुबन्धकर्ता यदि कार्य क्षेत्र की सीमा पर बाड़ को मजबूती देने हेतु वृक्षारोपण करता है तो समन्वित क्षेत्र अधिकारी से चर्चा कर चारा वृक्ष ही लगाने होंगे जिसकी हरा चारा पतियों पर संस्थान का पूर्ण हक होगा।

8. अनुबन्ध की अवधि कार्य आदेश जारी होने से आठ वर्ष तक रहेगी, लेकिन कार्य की अवधि कम या अधिक भी की जा सकती है। यदि उक्त अवधि के दौरान ठेकेदार द्वारा किसी प्रकार का व्यवधान या कार्य असंतोषजनक रहा तो अनुबन्ध निश्चित समय अवधि से पूर्व भी समाप्त किया जा सकता है, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।
9. कोटेशन प्रपत्र में दर्शाये गई वृक्षों एवं चारा फसलों के उत्पादन हेतु संस्थान द्वारा केवल जमीन उपलब्ध करवाई जायगी तथा इसके लिये अनुबंधकर्ता को संस्थान-कृषक सहभागिता कार्यक्रम के तहत कृषि कार्य करने हेतु बॉण्ड पत्र पर बॉण्ड भरकर देना होगा जिस पर दो गवाह के हस्ताक्षर होने चाहियें। बॉण्ड का प्रारूप विभाग द्वारा उपलब्ध करवाया जावेगा।
10. मौसम की अनुकूलता / प्रतिकूलता के अनुसार आपसी सहमति से बुवाई का क्षेत्रफल घटाया बढ़ाया जा सकता है।
11. कृषि कार्य जैसे बीजों की बुवाई, फसलों की निराई-गुड़ाई रखवाली, चारे की कटाई अनुबंधकर्ता को स्वयं के खर्च पर करने होंगे साथ ही कृषि कार्य में आने वाले सभी औजार / मशीनरी जैसे ट्रैक्टर जुताई बुवाई व कटाई से सम्बंधित यंत्र, ट्रौली श्रेसर व अन्य सभी औजार अनुबंधकर्ता के स्वयं के होंगे तथा इस कार्य हेतु संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं करवाई जायगी। आवश्यकता पड़ने पर अनुबंधकर्ता द्वारा यदि संस्थान का ट्रैक्टर या अन्य मशीनरी उपयोग में ली जाती है तो ईंधन व वांछित/निर्धारित किराया मशीनरी अनुबंधकर्ता द्वारा देय होगा।
12. प्रक्षेत्र के उत्पाद के बँटवारे से सम्बंधित कार्य सक्षम अधिकारी महोदय द्वारा गठित समिति के द्वारा किया जावेगा जो कि अनुबंधकर्ता को मान्य होगा। संस्थान के बँटवारे/हिस्से में आने वाले चारे/फसल अवशेष को प्रभारी विभाग या उनके प्रतिनिधि द्वारा बताये स्थान पर (संस्थान परिसर में ही) डलवाकर भंडारण करवाना होगा। इस कार्य में लगने वाले श्रमिक स्वयं अनुबंधकर्ता को लगाने होंगे एवं ट्रैक्टर संस्थान द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
13. प्रक्षेत्रों की पूर्ण रखवाली एवं रखरखाव की जिम्मेदारी अनुबंधकर्ता की होगी। दिन व रात्रि में चारा फसलों व लगाये गये पौधों कि रखवाली स्वयं अनुबंधकर्ता को करनी होगी। रखवाली के दौरान बाहरी जानवरों द्वारा चारे को किसी प्रकार से नुकसान होता है तो उस नुकसान की भरपाई अनुबंधकर्ता द्वारा की जावेगी। नुकसान का आंकलन सक्षम अधिकारी महोदय द्वारा गठित समिति द्वारा किया जावेगा।
14. अनुबंध अवधि के दौरान मानसून, प्राकृतिक प्रकोप या अन्य कारणों से उत्पादन एवं अन्य कार्य प्रभावित होने पर संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा संस्थान द्वारा अनुबंधकर्ता को किसी भी प्रकार हर्जाना/क्षतिपूर्ति राशि उपलब्ध नहीं करवाई जायेगी।
15. ठेकेदार/प्रतिनिधि को बताये गये सभी कार्य समय पर पूर्ण करने होंगे कार्य अपूर्ण या समय से पूर्व छोड़ने पर या संतोषजनक नहीं होने पर संस्थान के सक्षम अधिकारी द्वारा अनुबंध को निरस्त किया जा सकता है जिसकी समस्त जिम्मेदारी अनुबंधकर्ता की स्वयं की होगी। साथ ही भविष्य में कोई अनुबंध कार्य आवंटन नहीं किया जावेगा।
16. ठेकेदार/प्रतिनिधि द्वारा कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता/गैर जिम्मेदारी/अवज्ञा की गई तो अनुबंध को निरस्त करते हुये अमानत/जमानत राशि जब्त करली जावेगी।
17. ठेकेदार/प्रतिनिधि को प्रक्षेत्र में संस्थान की सम्पत्ति को नुकसान से बचाना होगा। यदि कोई नुकसान/चोरी/क्षति पहुँचाई जाती है अनुबंध निरस्त कर अमानत व जमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।
18. उपरोक्त सभी कार्यों की पूर्णता तभी मान्य होगी जब अध्यक्ष,पशु पोषण विभाग व उनके प्रतिनिधि द्वारा कार्य सन्तोषजनक पूर्णता करने का प्रमाणित करेगे उसके बाद ही बँटवारा किया जावेगा। यदि कार्य दिये गये माप दण्डों के अनुसार पूर्ण नहीं किया गया तो किये गये कार्य की मात्रा के अनुसार बँटवारा किया जावेगा।
19. ठेकेदार को अनुबंध की अवधि में भारत सरकार के प्रचलित श्रमिक कानूनों का पालन करना होगा। भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत समय-2 पर निर्धारित दर से भुगतान करना होगा। श्रमिक को भुगतान करने की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी। यदि भुगतान से सम्बंधित किसी भी श्रमिक द्वारा कोई वाद/क्लेम प्रस्तुत करने पर माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई राशि का पूर्ण भुगतान करने की जिम्मेदारी भी स्वयं ठेकेदार की होगी। साथ ही बाल श्रमिक कानून का पूर्ण पालन करना होगा।
20. ठेकेदार द्वारा जिन प्रतिनिधियों को अनुबंध कार्य हेतु नियुक्त किया जावेगा उनका परिचय-पत्र ठेकेदार द्वारा स्वयं बनाकर फोटोयुक्त परिचय-पत्र अधिकृत अधिकारी (सुरक्षा अनुभाग) से जारी करवाकर पशु पोषण विभाग में प्रस्तुत करना होगा। परिचय-पत्र का व्यय स्वयं

ठेकेदार को वहन करना होगा। प्रतिनिधियों को फोटो पहचान-पत्र आवश्यक होगा। साथ ही प्रतिनिधियों का नाम, पता व मोबाईल नम्बर इत्यादि प्रभारी को उपलब्ध कराना होगा।

21. अनुबन्ध कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाने पर ठेकेदार/उनके प्रतिनिधि स्वयं जिम्मेदार होंगे तथा सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाही अपने स्तर पर स्वयं के खर्च पर करनी होगी तथा संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता/क्षतिपूर्ति राशि नहीं दी जावेगी।
22. अनुबन्धकर्ता द्वारा नियमों अनुसार जमानत राशि जमा कराई जायेगी व उनके द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि अनुबन्ध कार्य सन्तोषजनक पूरा होने के उपरान्त वापिस देय होगी। यदि अनुबन्ध के दौरान आपका कार्य किसी भी प्रकार से असन्तोषजनक पाया गया तो आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि को जब्त कर लिया जावेगा।
23. सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार अविकानगर, मालपुरा होगा। किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में अन्तिम निर्णय देने का अधिकार निदेशक, केन्द्रीय भेड व ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर, तहसील मालपुरा, जिला टोंक, राजस्थान को होगा। जिसे ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी/कम्पनी द्वारा मान्य होगा।
24. यह कार्य केवल अनुबन्ध की प्रकृति (जॉब कोन्ट्रैक्ट के आधार पर) के लिये ही माना जावेगा। ठेके की अवधि व उसके उपरान्त अनुबन्धकर्ता अथवा उसके प्रतिनिधि का जॉब कान्ट्रैक्ट कार्य के अतिरिक्त संस्थान से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा।
25. संस्थान के सक्षम अधिकारी को बिना कोई कारण बतायें किसी भी समय जारी अनुबन्ध आदेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
26. अनुबन्धकर्ता को 500/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर कार्य को अनुबन्ध पर करने के लिये एग्रीमेन्ट देना होगा, जिसका प्रारूप क्रय अनुभाग से प्राप्त करना होगा।
27. अनुबन्ध कार्य पर जी0एफ0आर0 2017, मेनुअल फॉर प्रोक्यारमेण्ट ऑफ गुड्स एवं सर्विसेज 2017 एवं समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी आदेश एवं संशोधन लागू होंगे।
28. यह सूचना इस संस्थान की वेबसाईट [www.cswri.res.in](http://www.cswri.res.in) & [e-procure.gov.in](http://e-procure.gov.in) पर उपलब्ध है।

भा.कृ.अ.प.—केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर  
तहसील—मालपुरा, जिला—टोंक, राजस्थान —304 501

क्रमांक: 0(00)SP/2021/

दिनांक: 21.05.2021

निविदा स्वीकारोक्ति पत्र (Tender Acceptance letter)

संस्थान के निजी भागीदारी से ब्लॉक संख्या 5 व 13 में सैंजमोरिगां) वृक्ष चारागाह लगाना एवं देखभाल अनुबंध के आधार पर करनेबाबत

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने निविदा में दर्शायी गई सभी नियम व शर्तें भली-भाँति पढ़ली है तथा मुझे पूर्णरूप से स्वीकार है। मैं उपरोक्त दर्शायी गई दरों पर संस्थान के संस्थान के निजी भागीदारी से ब्लॉक संख्या 5 व 13 में सैंजमोरिगां) वृक्ष चारागाह एवं देखभाल अनुबंध के आधार पर सम्पन्न करवाने के क्रम में जॉब कोन्ट्रैक्ट पर करने के लिये सहमत हूँ। साथ ही मैं संबंधित अनुभाग प्रभारी या उनके प्रतिनिधि से समय-समय पर सम्पर्क करके उनके निर्देशानुसार अनुबन्ध कार्य करता रहूँगा। मैं अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करूँगा और संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों से विनम्रता पूर्वक व्यवहार रखूँगा। यदि मेरे या प्रतिनिधियों द्वारा अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान/हस्तक्षेप करने/या उनके द्वारा बताये जाने वाले कार्य को करने के लिये मना आदि करता हूँ तो मेरे द्वारा जमा करवाई जाने वाली अमानत/जमानत राशि को जब्त करके अनुबन्ध को निरस्त किया जा सकता है जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी। साथ ही मैं यह भी वचन देता हूँ कि मुझे व मेरे प्रतिनिधि को उपरोक्त निविदा प्रपत्र में दर्शाये गये कार्यों का पूर्ण ज्ञान है।

मैं यह भी वचन देता हूँ कि मैं भारत सरकार के प्रचलित सभी श्रमिक नियमों का पूर्ण रूप से पालन करूँगा तथा मेरे द्वारा लगाये गये सभी प्रतिनिधियों की मजदूरी का भुगतान समय-समय पर निर्धारित दैनिक मजदूरी की दर से करूँगा।

यह मेरे/हमारे संज्ञान में भली-भाँति से है कि आपके द्वारा उपरोक्त कार्य हेतु प्राप्त निविदाओं को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है एवं सक्षम अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय मुझे/हमें मान्य हैं। अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने के उपरान्त मेरा व मेरे द्वारा लगाये गये प्रतिनिधियों का इस संस्थान से जॉब कोन्ट्रैक्ट के अलावा कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा और न ही मैं किसी प्रकार का संस्थान के खिलाफ कोई कार्यवाही करूँगा।

दिनांक -----

हस्ताक्षर ठेकेदार/फर्म प्रतिनिधि मय सील  
पूरा पता  
टेलीफोन/मोबाईल नं.

**NON BLACKLISTING CERTIFICATE**

*[To be submitted on letterhead]*

I/We hereby certify that the [Name of the company / firm] has not been ever blacklisted/ debarred by any Central / State Government / Public Undertaking / Institute on any account.

I/We also certify that firm will supply the item as per the specification given by ICAR-CSWRI, Avikanagar and also abide all the terms and conditions stipulated in Contract.

I/We also certify that the information given in bid is true and correct in all aspects and in any case at a later date it is found that any details provided are false and incorrect, contract given to the concern firm or participation may be summarily terminated at any stage, the firm will be blacklisted and ICAR-CSWRI, Avikanagar may imposed any action as per NIT rules.

Date:  
Place :

Name :  
Business Address :  
Signature of Bidder:  
Seal of the Bidder :

Bid Securing Declaration Form  
[To be submitted on letterhead]

NIT No.: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

To

(insert complete name and address of the purchaser)

I/We. The undersigned, declare that:

I/We understand that, according to your conditions, bids must be supported by a Bid Securing Declaration.

I/We accept that I/We may be disqualified from bidding for any contract with you for a period of 01year from the date of notification if I am /We are in a breach of any obligation under the bid conditions, because I/We

a) have withdrawn/modified/amended, impairs or derogates from the tender, my/our Bid during the period of bid validity specified in the form of Bid; or

b) having been notified of the acceptance of our Bid by the purchaser during the period of bid validity (i) fail or reuse to execute the contract, if required, or (ii) fail or refuse to furnish the Performance Security, in accordance with the Instructions to Bidders.

I/We understand this Bid Securing Declaration shall cease to be valid if I am/we are not the successful Bidder, upon the earlier of (i) the receipt of your notification of the name of the successful Bidder; or (ii) thirty days after the expiration of the validity of my/our Bid.

Signed: \_\_\_\_\_ (insert signature of person whose name and capacity are shown)  
in the capacity of \_\_\_\_\_ (insert legal capacity of person signing the Bid Securing Declaration)

Name: \_\_\_\_\_ (insert complete name of person signing he Bid Securing Declaration)

Duly authorized to sign the bid for an on behalf of \_\_\_\_\_ (insert complete name of Bidder)

Dated on \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ (insert date of signing)

Corporate Seal (where appropriate)

(Note: In case of a Joint Venture, the Bid Securing Declaration must be in the name of all partners to the Joint Venture that submits the bid)